



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167।

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2014/चैत्र 10, 1936

No. 167।

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2014/CHAITRA 10, 1936

पर्यावरण और बन भवान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

साठकाठनि० 232(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में, जनरेटर सेट (जेनसेट) के लिए 800 किलोवाट तक के नए शीजल इंजन के लिए उत्सर्जन सीधा लागू होने से संबंधित क्रम संख्याएँ 95 में—
(क) आरंभिक पैरा में, “1 अप्रैल, 2014” के स्थान “1 जुलाई, 2014” रखें ; और
(घ) साधारण हार्ट में, प्रमाणन की अपेक्षा से संबंधित पैरा 2 में, “1 अप्रैल, 2014” और “1 अप्रैल, 2015” के स्थान पर क्रमशः “1 जुलाई, 2014” और “1 जुलाई, 2015” रखें।

[फारमो क्यू-15017/08/2012-सीपीडब्ल्यू]

डॉ राहिद हसन, सलाहकार

टिप्पण- मूल नियम, मास्त के राजपत्र में अधिसूचना सं० क्र०आ० 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 हासा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं० क्र०आ० 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987 ; साठकाठनि० 01(अ), तारीख 1 जनवरी, 2010 ; साठकाठनि० 61(अ), तारीख 5 फरवरी, 2010 ; साठकाठनि० 485(अ), तारीख 9 जून, 2010 ; साठकाठनि० 808(अ), तारीख 21 जुलाई, 2010 ; साठकाठनि० 739(अ), तारीख 9 सितंबर, 2010 ; साठकाठनि० 809(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2010 ; साठकाठनि० 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011 ; साठकाठनि० 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011 ; साठकाठनि० 354(अ), तारीख 2 मई, 2011 ; साठकाठनि० 424(अ), तारीख 1 जून, 2011 ; साठकाठनि० 446(अ), तारीख 13 जून, 2011 ; साठकाठनि० 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012 ; साठकाठनि० 286(अ), तारीख 30 मार्च, 2012 ; साठकाठनि० 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012 ; साठकाठनि० 820(अ), तारीख 9 नवंबर, 2012 ; साठकाठनि० 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013 ; साठकाठनि० 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013 ; साठकाठनि० 771(अ), तारीख 11 दिसेंबर, 2013 ; और साठकाठनि० 02(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014 और साठकाठनि० (अ), तारीख 28 मार्च, 2014 हासा संशोधित किए गए।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R.232(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Third Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the Schedule 1, in serial number 95 relating to Emission Limits for new diesel engine up to 800 kW for generator set (Genset) application,—
 - (a) in the opening paragraph, for "1st April, 2014", substitute "1st July, 2014"; and
 - (b) in the General Conditions, in paragraph 2 relating to 'Requirements of certification', for "1st April, 2014" and "1st April, 2015", substitute "1st July, 2014" and "1st July, 2015" respectively.

[F.NO. Q-15017/08/2012-CPW]

(Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 61 (E), dated the 1st January, 2010; G.S.R. 61 (E), dated the 5th February, 2010; G.S.R. 485 (E), dated the 9th June, 2010; G.S.R. 608 (E), dated the 21st July, 2010; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; G.S.R. 277 (E); dated the 31st March, 2012; G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; and G.S.R. 771 (E), dated the 11th December, 2013, G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014 and G.S.R. ----- (E), dated the 28th March, 2014.